भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 641
25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में पीएमएवाई

641. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में और उसके आस-पास प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत आवासों के निर्माण हेतु पर्याप्त निधियां स्वीकृत की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में विभिन्न अन्य योजनाओं के अंतर्गत निधियां आवंटित की हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू 2.0) जैसे विभिन्न मिशनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आवास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है।

पीएमएवाई-यू के तहत, तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

15.07.2024 तक, पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर कुल 6.80 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 6.63 लाख आवास निर्माणाधीन थे और 5.70 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। इसके अलावा, चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में, कुल 15,518 आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 15,308 आवास निर्माणाधीन है और 11,062 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं'।

एसबीएम-यू के तहत, स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के साथ-साथ सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जरूरत के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। इस योजना के तहत चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य को कुल 1,144.68 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

अमृत योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 35,990 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रुपये की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को मंजूरी दी गई है। जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन की अमृत परियोजनाओं के लिए चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य को 4,626.24 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इसके अलावा, मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु राज्य के लिए 14,687.83 करोड़ रुपए (ओ एंड एम सहित) की 1,270 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत, तमिलनाडु राज्य को 3,296.70 करोड़ रुपए का मिशन आवंटन किया गया है, जिसमें से 656.15 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

*****